



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-575

New Delhi: 20.07.2021

श्री राजा

पुत्र श्री स्वर्गीय धीरज सिंह

गांव - जमालपुर

पोस्ट - गुरुकुल सिकंदराबाद

जिला - गौतमबुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश - 203202

मोबाइल - 8650115994

**विषय:** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

**संदर्भ:** आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 09.07.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 12.07.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिल्बर

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वी मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)

इ-मेल-skroy@dfcc.co.in

दूरभाष - 011-23454707



डेढीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक: एमटीसी / ईएन / आर0टी0आई0 / भाग-8

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.  
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम  
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.  
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

दिनांक: 16.07.2021

डिप्टी जी0एम0 / एडमीन (पी0आई0ओ0)

कॉर्पोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल

प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

संदर्भ: निगम मुख्यालय पत्रांक संख्या 2021/HQ/ADMIN/RTI-575 New Delhi dated 13.07.2021.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत है।

क्रम संख्या	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	यह कि रेलवे स्टेशन दनकौर (जिला गौतमबुद्धनगर) पर दो गाँव जमालपुर व खेरली हफीजपुर हैं। खेरली हफीजपुर सीमा का रेलवे भूमि का गाँव जमालपुर के पास का नक्शा—गौतम श्रीवास्तव जी जो कि नोएडा से 0 148 ऑफिस में कार्यरत है ने एसडीएम सदर गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराया जिसमें रेलवे भूमि की चौड़ाई ग्राम खेरली हफीजपुर सीमा में Upline Centre से 98 फुट ग्राम की तरफ दर्शायी गयी है, क्यों इस नक्शे से खसरा संख्या 259स का मूल रक्का लगभग 700 वर्ग मीटर घट रहा है। को हमें भी उपलब्ध करायें कम चौड़ाई की लम्बाई भी बतायें।	आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना स्पष्ट नहीं है। डीएफसीसीआईएल द्वारा ऐसा कोई नक्शा उपजिलाधिकारी सदर को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसमें खसरा संख्या 259स अथवा उसके क्षेत्रफल का वर्णन किया गया है।
2	यदि रेलवे भूमि चौड़ाई Upline Centre से 98 फुट खेरली हफीजपुर गाँव में है तो गाटा संख्या 247 को प्रतिकर भूमि की नहीं मिलना चाहिये फिर क्यों दिया गया गया कृप्या बतायें जबकि गाटा संख्या 247 को 980 मीटर का प्रतिकर दिया गया है।	गाटा संख्या 247 के सम्पुर्ण भाग जो कि 950 वर्ग मीटर है को डीएफसीसीआईएल द्वारा अद्वितीय किया गया है जिसके प्रतिकर का भुगतान संयुक्त सर्वेक्षण आख्या, तहसील की आख्या के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा बताया गया 980 मीटर क्षेत्रफल गलत है।
3	यह कि नक्शा पर जो कि रेलवे विभाग का है हरताक्षर के साथ साथ सन् 1956 भी लिखा है उस समय अपलाईन नहीं थी क्योंकि अपलाईन लगभग 1964 में बनी है तो नाप अपलाईन सेन्टर से कैसे हो सकती है। क्योंकि अलीगढ़/खुर्जा रेलवे टीम डाउन लाईन से नाप करती है। कृप्या बतायें नाप के लिये अपलाईन सेन्टर/डाउन सेन्टर किसे माना जायें।	यह मामला रेलवे विभाग से सम्बन्धित है। अतः इसके बारे में डीएफसीसीआईएल द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। यद्यपि डीएफसीसीआईएल द्वारा परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक आर0ओ0डब्ल्यू0 हेतु सामान्यतः अपलाईन सेन्टर को सन्दर्भ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(महावीर सिंह)  
उप. जनसूचना अधिकारी/  
उप.परियोजना प्रबंधक / विद्युत